

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2018

आबकारी अनुभाग

विषय :

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2018 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन की अधिसूचना संख्या:-250/XXIII/2018/04(01)2018 दिनांक 19 मार्च 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आबकारी नीति वर्ष 2018-19 प्रख्यापित की गई है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी नीति वर्ष 2018-19 के अनुसार नई दरें लागू करते हुए समय की अल्पता के दृष्टिगत प्रदेश में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु समयावधि दिनांक 30.04.2018 तक विस्तारित किये जानें का निर्णय लिया गया है, मदिरा की दुकानों के संचालन हेतु गतवर्ष के अनुज्ञापी यदि इच्छुक हों तो उन्हें नई आबकारी नीति द्वारा निर्धारित दरों पर मदिरा की दुकान एक माह हेतु (दिनांक 30.04.2018 तक) आवंटित कर दी जाए, यदि कोई अनुज्ञापी दुकान के संचालन हेतु इच्छुक न हो तो उक्त दुकान का व्यवस्थापन स्थानीय आधार पर किसी अन्य को "प्रथम आवक प्रथम पावक" आधार पर माह के लिये निर्धारित राजस्व पर कर दिया जाए। यदि निर्धारित राजस्व पर कोई दुकान लेने के लिये इच्छुक न हो तो दुकान अधिकतम प्राप्त राजस्व पर दैनिक आधार पर चलाई जाए।

भवदीय,

19/03/2018
(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव